HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

#MISSIONSHAKTI

मिशन शक्ति अभियान फेस-5.0 के अन्तर्गत महिला सम्बन्धी अपराधों के आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए महिला से दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 16,500/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 30.10.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा महिला से दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 24.05.2017 को अभियुक्त नदीम पुत्र हमीद खां निवासी ग्राम राधना थाना किठौर जनपद मेरठ द्वारा घर मे घुसकर महिला से दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0 194/2017 धारा 452, 376 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 24.06.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 30.10.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी प्रथम हापुड़ द्वारा 10 वर्ष का कारावास व 16,500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्रीमति करुणा नागर (शासकीय अधिवक्ता) व पैरोकार म0का0 रीटा देवी व कोर्ट मोहर्रिर म0है0का0 अंजली तोमर का विशेष योगदान रहा।